राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2161/2010/उदयपुर

मैसर्स रूपाली केमिकल्स
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 30.09.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट–अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा)की धारा 84 के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 से 2001–01 के लिए पारित निर्णय दिनांक 16.08.2010 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत–उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना,1987 के खण्ड 4(डी)(i) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.11.2009 में आरोपित ब्याज रू. 2,79,518/–को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवसायी इकाई आवेदन व जिला स्तरीय छानबीन समति की अनुशंषा पर उद्योगों के लिए बिक्री कर आस्थगन योजना, 1987 (अधिसूचना कमांक एफ.4(66)एफडीजीआर–चतुर्थ/82–72 व 73 दिनांक 26.09. 1987) के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 1/86 दिनांक 19.02.1996 को जारी किया गया। इस प्रमाण पत्र से आस्थगित कर राशि रू. 6.66 लाख के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत रू. 141649/–व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत रू. 524555/– का लाभ प्राप्त किया गया, जिसमें लाभ उपभोग की अन्तिम तिथि 08.01.2011 थी। उक्त तथ्यों के प्रकाश में तथा अधिसूचनाओं के खण्ड 4(डी)(i) के अन्तर्गत आस्थगिम कर राशि लाभ प्राप्ति के तीस दिवस में प्रथम किश्त जमा कराते हुए दस समान छः माही ब्याज किश्तों में जमा करायी जानी थी। व्यवहारी को प्रथम किश्न दिनांक 07.02.2011 तक जमा कराना था, लेकिन आस्थगित राशि के पेटे प्रथम किश्त दिनलांक 07.02.2011 के बजाय विलम्ब से जमा करायी गयी है। अधिसूचना के 4(डी)(i) के अन्तर्गत ब्याज रहित किश्तों में आस्थगित कर राशि जमा

कराने का लाभ उसी सूरत में प्राप्त है जब किश्ते समय पर जमा हो अन्यथा इसी खण्ड के प्रथम परन्तु के अन्तर्गत किश्त जमा में प्रथम चूक को ही समस्त राशि देय मानकर ब्याज वसूल करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब व जमा राशि को दृष्टिगत रखते हुए ब्याज गणना तत्समय लागू दरों से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत रू. 83,675/– व केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत रू. 1,95,843/– कुल रू. 2,79,518/–आरोपित किये। उक्त प्रकार से आरोपित राशि से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज को सही ठहराते हुए अपील अस्वीकार की है, जिससे असन्तुष्ट होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि समय समय पर किश्तों में स्थगित राशि जमा कराई गई है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रथम किश्त भूल से देरी से जमा कराई गई है इस कारण आस्थगन योजना के खण्ड 4(डी)(i) के अन्तर्गत आस्थगन योजना की शर्त को पूरा नहीं करने के कारण पूरे कर को देरी से जमा मानते हुए ब्याज आरोपत किया गया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 16.08.2010 अवैधानिक,अन्यायिक व तथ्यों को नहीं मानते हुए पारित किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आधार पर ब्याज आरोपित किया गया, जिसका अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा जाना अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी के कम्पोजिट आदेश वर्ष 1995–96 से 2001–02 जो कि अवैधानिक है, उसके सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2010 में कोई वर्णन नहीं किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश ब्याज हेतु Barred limitation होते हुए भी कोई निर्णय नही दिया है,जो तथ्यों व विधिक विरूद्ध निर्णय है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष बहस के दौरान राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय 16 टैक्स अपडेट 265 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय जो 22 टैक्स अपडेट 109 पर प्रकाशित है,को प्रस्तुत किया गया था,जिस पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जो अपने आप में विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना,1987 का खण्ड 4(डी)(1) का उद्धरण अंकित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब से जमा की गयी राशि पर आरोपित ब्याज को सही ठहराया है। किन्तु बहस के दौरान अपीलार्थी के अभिभाषक ने कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय 16 टैक्स अपडेट 265 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय जो 22 टैक्स अपडेट 109 पर प्रकाशित है, न्यायिक दृष्टान्त उद्धृत किये गये थे,जिनकी विवेचना किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को सही ठहराया गया है, जो न्यायिक दृष्टि से अनुचित है। अपीलार्थी के उक्त कथन पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश देती है कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उसके द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों की विवेचना के उपरान्त न्याय संगत आदेश इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पारित करे।

फलस्वरूप अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य